तारीख जो हुक्म जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला—टोंक (राज.)

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः— 176 / 2022 निर्णय दिनांक :— 28.10.2022

उनवानी दावा :

1. रामराय पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
2. रघुनन्दन पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
3. तोलाराम पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
4. दीनदयाल पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
5. मथुरा पुत्री स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
6. रामप्रकाश पुत्री स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
7. विमला पुत्री स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।

—वादीगण—

बनाम

1. सुखा पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
2. तहसीलदार देवली / सब रजिसट्रार नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।

— प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

श्री बंशीलाल कलवार
अधिवक्ता वादी

बद्री प्रसाद विजय वर्गीय
प्रतिवादी संख्या 1

<u>**दावा बाबत उदघोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा**</u>

—:निर्णयः—

पत्रावली वास्ते निर्णय राजीनामा में पेश हुई।

Bh. Ra

श्योकरण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है :–

श्योकरण पुत्र कंवरीलाल (मृतक)

रामरतन पुत्र {मृतक} | सुखा (पुत्र) प्रतिवादी नं0 1 | बरजी पत्नी (मृतक)

रामराय (पुत्र) | रघुनन्दन (पुत्र) | तोलाराम (पुत्र) | दीनदयाल (पुत्र) | मथरा (पुत्री) | रामप्रकाश (पुत्री) | विमला (पुत्री)

वादीगण के दादा श्योकरण पुत्र कंवरीलाल के दो पुत्र हुये जिसमें बड़ा पुत्र रामरतन व छोटा पुत्र सुखा है। रामरतन का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक रामरतन के वादीगण जायज वारिसान है तथा वादीगण की दादी बरजी का भी स्वर्गवास हो चूका है, इसलिये वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात भूमि में मौके पर वादीगण नम्बर 1 ता 7 का 1/2 हिस्से की भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 1 सुखा का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण नम्बर 1 ता 7 के दादा श्योकरण की खातेदारी की आराजीयात खसरा नम्बर 2/3 व 4, 5 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि जो ग्राम स्यालासुखपुरा में है। वादीगण के दादा श्योकरण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर उक्त आराजीयात भूमि को अपने स्वयं व अपनी माता बरजी की खातेदारी में लगवा लिया जबकि पारिवारिक सजरे के अनुसार वादीगण का पिता रामरतन, श्योकरण का जायन्दा पुत्र था, जिसका भी श्योकरण की आराजीयात भूमि में 1/3 हिस्सा था, सुखा व

रामरतन की माता बरजी का स्वर्गवास हो चुका है, बरजी के हिस्से में भी वादीगण का हिस्सा बनता है। हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 जिसके साबिका खसरा नम्बर 2/3 व 4, 5 है, वादीगण की पुश्तेनी आराजीयात भूमि है, जिसमें वादीगण 1 ता 7 का 1/2 हिस्सा बनता है। श्योकरण ने उसके जीवन काल में जमीन का बटवारा कर दिया था, वादीगण के पिता रामरतन व प्रतिवादी सुखा का 1/2, 1/2 हिस्से पर मौके पर कब्जा था, वादीगण के पिता रामरतन के मरने के बाद वादीगण नम्बर 1 ता 7 का 1/2 हिस्से की आराजीयात भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। मृतक श्योकरण की विरासत का नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 14–6–68 को भरा गया था, जो गलत भरा गया है, उक्त नामान्तकरण में वादीगण के पिता रामरतन का भी नाम आना चाहिये था, उक्त नामान्तकरण अवैध है, ओर वादीगण के हितों के प्रति शून्य घोषित किये जाने योग्य है। वाद पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात भूमि में से 1/2 हिस्से का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। वादीगण की पैतृक भूमि साबिका खसरा नम्बर 2/3 व 4, 5 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 भूमि जो वाकै ग्राम स्याला सुखपुरा पटवार हल्का चारनेट तहसील नगरफोर्ट में स्थित है, उक्त भूमि में वादीगण नम्बर 1 ता 7 का 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त है, तथा शेष 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 सुखा का कब्जा काश्त चला आ रहा है, लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज होने से उसके मन में बेईमानी आ जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 सब रजिस्ट्रार कार्यालय/तहसीलदार नगरफोर्ट के यहां उपस्थित होकर वादीगण नम्बर 1 ता 7 के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग की 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान, दान, वसियत इत्यादि हस्तान्तरण करने पर

आमादा है, जिसे जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा–हमेशा के लिये पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वे स्वयं जरिये ऐजेन्ट, नोकर–चाकर के वादीगण के कब्जेकाश्त की 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान, दान, बसियत इत्यादि से हस्तारण नहीं करें। वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें पाबन्द रहे, ओर राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। यदि प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया तो वादीगण अपने जायक हक से महरूम हो जायेगें तथा वादीगण व्यर्थ के मुकदमें में उलझ कर बर्बाद हो जायेंगें। वाद कारण 10 दिन पूर्व उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण नम्बर 1 ता 7 के कब्जे काश्त की 1/2 हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन, बेचान ,दान, वसियत इत्यादि से हस्तान्तरण करने पर आमादा होने व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दिये जाने के कारण निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार/सब रजिस्ट्रार नगरफोर्ट आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादीगण नम्बर 1 ता 7 के कब्जे काश्त एवं उपयोग–उपभोग की भूमि वाकै ग्राम स्याला सुखपुरा में स्थित होने व पक्षकारो का निवास स्थान ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान में होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय व प्राप्त है। वाद अन्तर्गत धारा 88, 92 ए0188 राज०टी०एक्ट के तह अन्दर अवधि उचित कोर्ट फीस पर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय ने वकालतनामा पेश किया।

दिनांक 18.10.2022 को सभी पक्षकारान व उभयपक्ष अधिवक्ता ने हस्ताक्षरयुक्त राजीनामा पेश किया, जिसके तथ्य इस प्रकार हैः–उपरोक्त उनवानी वाद में आज की तारीख पेशी नियत है। वादीगण नम्बर 1 ता 7 के दादा श्योकरण पुत्र कंवरीलाल कोम धाकड़ साकिन गुराई की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात भूमि साबिका खसरा नम्बर 2/3, 5, 4 रकबा 10 बीघा 5 बिश्वा भूमि वाकै ग्राम स्याला सुखपुरा में स्थित है, जिसके हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 बनाये गये है। वादीगण के दादा श्योकरण पुत्र कंवरीलाल के दो पुत्र हुये जिसमें बड़ा पुत्र रामरतन व छोटा पुत्र सुखा है। रामरतन का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक रामरतन के वादीगण जायज वारिसान है तथा वादीगण की दादी बरजी का भी स्वर्गवास हो चुका है। इसलिये ग्राम स्याला सुखपुरा तहसील नगरफोर्ट में स्थित भूमि खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 में से 1/2 हिस्से की भूमि में मौके पर वादीगण नम्बर 1 ता 7 का व 1/2 हिस्से की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 सुखा का 1/2 हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण नम्बर 1 ता 7 के दादा श्योकरण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या 1 सुखा ने उक्त आराजीयात भूमि को अपने स्वयं व अपनी माता बरजी की खातेदारी में लगवा लिया था, जिसे निरस्त किया जावें और 1/2 हिस्से की भूमि को वादीगण नम्बर 1 ता 7 की खातेदारी में दर्ज कर दी जावें इसमें प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति नहीं है, और ना ही कोई आपत्ति भविष्य में होगी। वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 डिक्री किया जाकर नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 14–6–68 जो प्रतिवादी संख्या 1 सुखा व बरजी के हक में भरा गया था, उसे वादीगण के हितो के प्रति निष्प्रभावी व शुन्य घोषित किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 7 को हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0ग्राम स्याला सुखपुरा में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया

जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे। अतः पक्षकारान की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त वाद में राजीनामा तस्दीक किया जाकर नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 14–6–68 जो प्रतिवादी संख्या 1 व बरजी के हक में भरा गया था, उसे वादीगण के हितो के प्रति निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाकर वादीगण संख्या 1 ता 7 को हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 ग्राम स्याला सुखपुरा तहसील नगरफोर्ट 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वाके ग्राम स्यालासुखपुरा की जमाबन्दी सम्वत 2017–21 के कॉलम संख्या 5 में श्योकरण पुत्र कंवरिया धाकड़ सा. गुराई दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण पंजिका ग्राम स्यालासुखपुरा के नामान्तकरण संख्या 31 के कॉलम संख्या 5 में श्योकरण वल्द कवरीलाल कोम धाकड़ सा. गुराई का, कॉलम संख्या 6 में 2/3 व 4, 5 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा, कॉलम संख्या 11 में बरजी बेवा श्योकरण व सुखा वल्द श्योकरण धाकड़ व कॉलम संख्या 16 में श्योकरण फोत हो चुका है। दिनांक 14.06.68 को नामान्तकरण स्वीकृत हुआ। मिलान क्षैत्रफल साबिक ख. नं. 2/3, 4, 5 मिन रकबा 10 बीघा 1 बिसवा से ख. नं. 384 रकबा 1.90 है0 बने है। भू प्रबन्ध विभाग की जमाबन्दी सम्वत 2046–65 ख. नं. 384 का खातेदार मु0 बरजी बेवा श्योकरण व सुखा पुत्र श्योकरण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुआ। वादीगण के वाद अनुसार श्योकरण के सुखा के अलावा दुसरा पुत्र रामरतन भी था जिसके नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तकरण नहीं खोला गया। रामरतन की मृत्यु हो गई जिसके वारिसान वादीगण है जो अपने नाम उक्त आराजी की 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड करवाना चाहते है। इस हेतु वादीगण व

प्रतिवादीगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद को सही बताया और वाद अनुसार वादीगण विवादित आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदारी घोषणा के अधिकारी है। अतः राजीनामा दिनांक 18.10.2022 अनुसार वाके ग्राम स्याला सुखपुरा के नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 14-6-68 निष्प्रभावी व शुन्य घोषित जाता है तथा वादीगण संख्या 1 ता 7 को हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 ग्राम स्याला सुखपुरा में 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाता है। तदुनसार तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

1. रामराय पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
2. रघुनन्दन पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
3. तोलाराम पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
4. दीनदयाल पुत्र स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
5. मथुरा पुत्री स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
6. रामप्रकाश पुत्री स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।
7. विमला पुत्री स्व. रामरतन पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान।

—वादीगण—

बनाम

1. सुखा पुत्र स्व. श्योकरण जाति धाकड़ आयु 65 वर्ष निवासी ग्राम गुराई तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान
2. तहसीलदार देवली/सब रजिसट्रार नगरफोर्ट जिला टोंक राजस्थान

— प्रतिवादीगण—

दावा उद्घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं 176 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री बंशीलाल कलवार अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू बद्री प्रसाद विजयवर्गीय प्रतिवादीगण संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

राजीनामा दिनांक 18.10.2022 अनुसार वाके ग्राम स्याला सुखपुरा के नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 14–6–68 निष्प्रभावी व शुन्य घोषित जाता है तथा वादीगण संख्या 1 ता 7 को हाल खसरा नम्बर 384 रकबा 1.90 है0 ग्राम स्याला सुखपुरा में 1/2 हिस्से के खातेदार घोषित किया जाता है।

निजी...मुवलिक..बाबत् ....
........................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 10 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तखत ....

मुहर

ओहदा ....उपखण्ड अधिकारी.................
देवली (टोंक)

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :— इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए